संख्या-527/2023/2344/22-2-2023-17(683)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार, गाडियान चमेली वर्तमान सिसौरा, थाना-फूलबेहड़, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनांक 11.11.2000 की सांय समय लगभग 5:00 बजे बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 दिन पूर्व हुई मारपीट को लेकर बांका व भाली से धीरू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी संख्या-114/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323,504, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 25.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2022 तक 15 वर्ष, 08 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 11.11.2000 की सायं समय लगभग 05:00 बजे बंदी ने अपने अन्य 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक दिन पूर्व हुई मारपीट को लेकर बांका व भाली से धीरू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र (बंदी संख्या-43341) पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-527/2023/2344(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-164/2022 राजेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 एवं अवमाननावाद संख्या-854/2023 राम नारायन व अन्य बनाम श्री संजय प्रसाद व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-527/2023/2344/22-2-2023-17(683)/2023

दिनांक 16 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार, गाडियान चमेली वर्तमान सिसौरा, थाना-फूलबेहड़, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनांक 11.11.2000 की सांय समय लगभग 5:00 बजे बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 दिन पूर्व हुई मारपीट को लेकर बांका व भाली से धीरू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी संख्या-114/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323,504, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 25.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2022 तक 15 वर्ष, 08 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 11.11.2000 की सायं समय लगभग 05:00 बजे बंदी ने अपने अन्य 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक दिन पूर्व हुई मारपीट को लेकर बांका व भाली से धीरू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।